भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 322

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लघु व्यवसायों के समक्ष चुनौतियां

322. श्री जिया उर रहमान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और संभार तंत्र की बढ़ती लागत के कारण लघु व्यवसायों, निर्यातकों और स्टार्टअप्स के समक्ष आने वाली चुनौतियों का संज्ञान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और व्यापार की सहायता करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए कौन से नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों और पहलों को कार्यान्वित कर रहा है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, अधिप्राप्ति और विपणन सहायता सहायता (पीएमएस), उद्यम पंजीकरण पोर्टल और ट्रेड

रिसीवेवल ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस), आदि जैसी प्रमुख पहलें शामिल है।

छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने हेतु स्टार्टअप्स, छोटी कंपनियों (एमएसएमई) और शैक्षणिक संस्थानों को पेटेंट आवेदन दायर करने तथा उन पर कार्रवाई करने एवं पेटेंट को बनाए रखने के लिए शुल्क में कम से कम 80% की छूट दी गई है। स्टार्टअप्स व छोटी कंपनियों (एमएसएमई) को भी त्वरित जांच करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा, पेटेंट आवेदनों की जांच में तेजी लाने के लिए, पेटेंट एजेंटों द्वारा दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है और संगत समय-सीमाओं को भी सुचारू बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की। अब तक, डीपीआईआईटी द्वारा 1.75 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों, नामत: स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) को कार्यान्वित कर रही है, ताकि स्टार्टअप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

इसी प्रकार, सरकार ने व्यापार जगत को सहायता प्रदान करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत उपाय भी लागू किए हैं। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई है। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात

को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की गई है। सरकार ने देश में विनिर्माण निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को भी अनुमोदन प्रदान किया है। अन्य प्रमुख पहलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत के समाधान के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मानीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय आदि शामिल हैं। बॉयलर अधिनियम, 1923 को बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) के रूप में पुनः अधिनियमित किया गया है, जिसमें अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया गया है तथा नियमों और विनियमों के लिए कुछ ठोस प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनसे बॉयलर प्रणाली पर निर्भर उद्योगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा राजकोषीय और मौद्रिक नीति सबंधी उपायों का मिला जुला प्रयोग किया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जो मुख्यत: अनुपालन बोझ को कम करने (आरसीबी), गैर-अपराधीकरण और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर केंद्रित हैं। व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) अनुपालन बोझ कम करने पर केंद्रित है और राज्य सरकारों को अनुपालन बोझ कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) को सरकार से व्यवसाय (जी2बी) अनुमोदन और उद्योग जगत के लिए निवेशक-संबंधी मंज़ूरियों की सुविधा हेतु वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में शुरु किया गया है। इसके अतिरिक्त,

भारत सरकार एक निवेश-अनुकूल ईकोसिस्टम तैयार करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो घरेलू और विदेशी निवेशों की सुदृढ़ रूप से सहायता करे।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। इस सुधार को आगे बढ़ाते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने जन विश्वास 2.0 पहल की घोषणा की है, जिसके तहत डीपीआईआईटी ने 39 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रशासित होने वाले अधिनियमों में आपराधिक प्रावधानों (मुख्य एवं गौण, दोनों प्रकार के अपराधों) का विश्लेषण किया है।

व्यापार और निर्यात को बढ़ाने के लिए, सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति (2023) की शुरुआत की है तथा शिपमेंट से पहले और शिपमेंट बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण स्कीम को कार्यान्वित किया है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूल संबंधी प्रमाणपत्र (सर्टीफिकेट ऑफ ऑरिजिन) हेतु सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार सृजन के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करके "निर्यात केंद्र के रूप में जिले" संबंधी पहल भी शुरू की गई है।

*****